दिल्ली लक्ष्मी योजना – पात्रता, अपात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज़

1. पात्रता (Eligibility)

आवेदक महिला को नीचे दी गई **सभी शर्तें** पूरी करनी होंगी:

1.1 आवेदन की तारीख पर महिला की आयु **21 से 60 वर्ष** के बीच होनी चाहिए।

1.2 परिवार में जो महिला योजना के लिए पात्र हो, उनमें से **सबसे बड़ी (वरिष्ठ) महिला** ही आवेदन कर सकती है।

1.3 महिला, उसके पति या उसके माता-पिता में से किसी एक का **दिल्ली में कम से कम 10 साल का निवास** होना चाहिए।

1.4 महिला का **दिल्ली का वोटर आईडी (Voter ID)** होना चाहिए।

1.5 परिवार की **सालाना आय ₹2,50,000 या उससे कम** होनी चाहिए।

2. कौन आवेदन नहीं कर सकता (अपात्रता)

निम्न में से कोई भी शर्त लागू होने पर महिला इस योजना का लाभ नहीं ले सकती:

2.1 यदि महिला:

- केंद्र या राज्य सरकार से **पेंशन या आर्थिक सहायता** ले रही है।
- **इनकम टैक्स** भरती है।
- **GST रिटर्न** भरती है।
- सरकारी कर्मचारी है या पहले रह चुकी है।
- किसी सरकारी पद पर कार्यरत है।

2.2 यदि महिला के **3 से अधिक जीवित बच्चे** हैं।

2.3 यदि परिवार की **एक साल की बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक** है।

2.4 यदि महिला या उसके परिवार का कोई सदस्य:

- केंद्र/राज्य सरकार, PSU, बोर्ड, स्थानीय निकाय या किसी सरकारी संस्था में नियमित या संविदा (Contract) कर्मचारी है।
- सरकारी पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या किसी अन्य सरकारी योजना से आर्थिक सहायता ले रहा है।
- **चार पहिया वाहन (Car आदि)** का मालिक है।

2.5 यदि महिला के खिलाफ **कोई आपराधिक रिकॉर्ड (Criminal Record)** है।

3. आवेदन के साथ अपलोड करने वाले जरूरी दस्तावेज़

- आधार कार्ड
- दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड
- आवेदक की फोटो और हस्ताक्षर
- संबंधित क्षेत्र के **सांसद (MP) या विधायक (MLA)** की सिफारिश

4. 10 साल के दिल्ली निवास का प्रमाण (इनमें से कोई एक)

- दिल्ली का वोटर आईडी
- राशन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- बिजली बिल / गैस कनेक्शन का बिल या रसीद

5. आयु प्रमाण (इनमें से कोई एक)

- जन्म प्रमाण पत्र
- स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र
- 10वीं की मार्कशीट / प्रमाण पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड